राजस्थान सरकार
वन विभाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, अलवर

ज्योतिरावफुले सर्किल, नयाबास, अलवर (राज0) – 301001

आज़ादी का अमृत महोत्सव

क्रमांकः एफ18( )एफ.सी.ए. / उवसं–अल. / 2024 / 4107 दिनांक : 31/01/2024

निमित्त,

परियोजना निदेशक (राकेश गुप्ता तत्कालीन परियोजना निदेशक),

भा0रा0रा0 प्रा0 इकाई, जयपुर।

संदर्भः आपका पत्रांक 2226 दिनांक 14.12.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव सं0 : FP/RJ/ROAD/41266/2019 में आप प्रयोक्ता एजेन्सी नामित हैं। इस प्रस्ताव के संबंध में नि‍ा सक्षम स्वीकृति के आप द्वारा गैर वानिकी कार्य किया गया जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। जिसके लिए वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा ए व धारा 3बी अनुसार आपके विरूद्ध इस कार्यालय के पत्रांक 3738 दिनांक 29.11.2023 से आपसे 15 दिवस में अपना स्पष्टीकरण लिखित रूप में मांगा गया था।

उक्त नोटिस के जवाब में आपके पत्रांक 2226 दिनांक 14.12.2023 से इस कार्यालय को प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया है कि प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित प्रकरण (टॉल प्लाजा), पूर्व में प्रत्यावर्तित प्रकरण 6 लेन भा0रा0–08 हेतु प्रस्तावित वन भूमि में सम्मिलित थी। जबकि उक्त प्रत्यवर्तन प्रकरण की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि आपके पत्रांक 2172 दिनांक 30.12.2008 के द्वारा संलग्न प्रस्ताव के ANNEXURE-3 (FOREST DIVERSION ALWAR DETAILS OF PROTECTED FOREST LAND ALONG NH – 8) के अनुसार संलग्न क्षेत्र गणना रिपोर्ट में स्पष्ट लिखित है कि टॉल प्लाजा प्रकरण की वन भूमि उक्त प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में सम्मिलित नही थी। (ANNEXURE-3 की प्रति संलग्न)

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप उक्त उल्लंघन के संबंध में अपना स्पष्टीकरण लिखित रूप में पुनः इस कार्यालय को 07 दिवस में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, जिसमें यह स्पष्ट करें कि क्यों ना आपके विरूद्ध वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत जारी की गई मार्ग दर्शिका 2019 के पैरा सं0 1.21 के तहत कार्यवाही की जाये? यदि आपके द्वारा समयावधि में स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लेली जावेगी।

(ए0 के0 श्रीवास्तव)
उप वन सरंक्षक,
अलवर

क्रमांकः एफ18( )एफ.सी.ए. / उवसं–अल. / 2024 / दिनांक :

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान् अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, एफ0सी0ए0, राजस्थान, अरण्य भवन, जयपुर।
2. श्रीमान् मुख्य वन संरक्षक, अरावली भवन, जयपुर।

उप वन सरंक्षक,
अलवर

Signature valid

RajKaj Ref 5455342

Digitally signed by Apoorva Krishna Srivastava
Designation : Deputy Conservator Of Forest
Date: 2024.01.31 15:32:40 IST
Reason: Approved

F:\my\fca \Letter fca487

Fax 0141 – 2701923

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)
National Highways Authority of India
(Ministry of Shipping, Road Transport & Highways)
डी–35/1, संजीवनी मार्ग, हनुमान नगर, जयपुर– 302021
D-35/1, SANJEEVANI MARG, HANUMAN NAGAR, JAIPUR-302021

दूरभाष / Phone : 91-141-2351427
फैक्स / Fax : 91-141-2351333
ई-मेल / E-mail : jai@nhai.org

No - 23014/1/2008-JP/FSE/2172 दिनांक 30.12.08

प्रेषितः–
अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक
वन सुरक्षा एवं वन संरक्षण
वन भवन, जयपुर

विषयः **Widening & strengthening of existing 4 lane road section Gurgaon to Jaipur of NH-8 to 6 lane under National Highway Development Project phase V on design build operate pattern.**

संदर्भः आपका पत्र क्रमांक एफ14( )07/वसु/प्रमुवस/11794–95 दिनांक 24.12.08.

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र में दर्शाया गये निर्देशों की पूर्ति कर बिन्दुवार टिप्पणी निम्नानुसार प्रेषित है।

वन मण्डल जयपुर (उ.प.)

1. इसकी पूर्ति करी दी गई है।

2. चूंकि कि.मी. 213.5 से कि.मी. 273 तक जयपुर मध्य वन मण्डल के अधिकार क्षेत्र में सड़क 4 लेन से 6 लेन में चौड़ीकरण किया जा रहा है, अतः भारत सरकार का पत्र समसंख्या दिनांक 20.01.1993 का उल्लेख किया गया है। पूर्व में भारत सरकार द्वारा कि.मी. 214 से कि.मी. 231 तक 4 लेन की स्वीकृति जारी की गई थी। इस प्रस्ताव में कि.मी. 214 से कि.मी. 220.600 तक इसी पत्र के अन्तर्गत आता है एवं 220.600 कि.मी. से 273 कि.मी. तक जयपुर बाईपास में आता है जो कि नया अलाइनमेंट है। अतः इसका उल्लेख किया गया है।

3. Proposed ROW 60.6 मीटर के बजाय 40.6 मीटर सहवन ... इसका संशोधन कर दिया गया है।

RajKaj Ref
5455342

Signature valid
Digitally signed by Apoorva Krishna Srivastava
Designation : Deputy Conservator Of Forest
Date: 2024.01.31 15:32:40 IST
Reason: Approved

वन मण्डल जयपुर (उत्तर)

1. संजय वन ब्लॉक का क्षेत्र केवल रोड़ के बांयी साइड में लिया गया है अतः अब इसकी पूर्ति कर दी गई है। दांयी साइड में नोटिफाईड प्रोटेक्टेड फोरेस्ट है अतः इसे पृथक से दर्शा दिया गया है।

2. किमी 210.500 से किमी 212.000 के मध्य मनोहरपुर टोल प्लाजा का निर्माण कराया गया था जिसकी स्वीकृति इस सडक को 2 लेन से 4 लेन बनाने के समय भारत सरकार के पत्र दिनांक 20.01.93 द्वारा जारी की गई थी, एवं उसी समय टोल का निर्माण हुआ था। अतः इस पत्र का उल्लेख किया गया है। एवं इसकी प्रति पूर्व में सलंग्न कर दी गई थी।

3. संजय वन ब्लॉक का क्षेत्र इन्डेक्स बनाकर दर्शाया गया है अतः इसकी पूर्ति कर दी गई है।

4. जी.टी. शीट में रोड़ के बांयी तरफ मार्किंग दर्शाया गया है क्योंकि बांयी तरफ ही संजय वन ब्लॉक की वन भूमि लेने का प्रस्ताव दिया गया है, अनुलग्नक 3 (A) को ठीक कर दिया गया है। अतः पुनः अवलोकन फरमावें।

मनोहरपुर टोल प्लाजा निर्माण के लिए वन भूमि प्रत्यावर्तन 20.01.93 द्वारा जारी स्वीकृति मे हो चुका है एवं 4 से 6 लेन की परियोजना में प्लाजा विस्तार के लिए आवश्यक भूमि में वन भूमि की आवश्यकता नही है। दौलतपुरा टोल प्लाजा वन क्षेत्र मे नही आता है तथा इसके विस्तार के लिए आवश्यक भूमि अतिरिक्त भूमि मे भी वन भूमि नही आयेगी। वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव आपके कक्ष में दिनांक 10.12.08 को हुई वार्तानुसार तैयार कर पुनः भिजवाये गए है। पूर्व मे 2 लेन से 4 लेन चौडाईकरण के समय प्रस्तावं 15 चौडाई मे अनुमोदित हुए थे। वन संरक्षक अलवर द्वारा मौका निरीक्षण के समय उन्होने भी प्रस्ताव 15 मीटर चौडाई मे बनाने हेतु सुझाव दिया गया था। अतः वन प्रस्ताव ... चौडाई

RajKaj Ref
5455342

Signature valid
Digitally signed by Apoorva Krishna Srivastava
Designation : Deputy Conservator Of Forest
Date: 2024.01.31 15:32:40 IST
Reason: Approved

12 मीटर से बढाकर 15 मीटर करने के कारण वन क्षेत्र बढ गया है। वन प्रस्ताव न्यूनतम वन भूमि के उपयोग हेतु तैयार कर भिजवाये गए है।

भवदीय,

परियोजना निदेशक
भाराराप्रा, जयपुर।

क्रमांक :- 2173 - 2174

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यहेतु एवं सूचनार्थ प्रेषित है

1- उपवन संरक्षक जयपुर (मध्य)

2- उपवन संरक्षक जयपुर (उत्तर)

3- उपवन संरक्षक अलवर

RajKaj Ref
5455342

Signature valid

Digitally signed by Apoorva Krishna Srivastava
Designation : Deputy Conservator Of Forest
Date: 2024.01.31 15:32:40 IST
Reason: Approved

Annexure-3

FOREST DIVISION ALWAR DETAILS OF PROJECTED FOREST LAND ALONG NH-8

S.No.	Name of Forest Division	Existing Row (M)	Proposed Row (M)	Existing Chainage		Forestland required			Total Area (Sqm)	Legal Status
				From	To	Left	Right	Total		
1	Alwar	46.6	62.1	107.100	111.300	-	15 M	15 M	63000	Protected Forestland
2	Alwar	46.6	62.1	111.300	112	-	15 M	15 M	10500	Protected Forestland
3	Alwar	46.6	62.1	112	113	-	15 M	15 M	15000	Protected Forestland
4	Alwar	46.6	62.1	113	114	-	15 M	15 M	15000	Protected Forestland
5	Alwar	46.6	62.1	114	115	-	15 M	15 M	15000	Protected Forestland
6	Alwar	46.6	62.1	115	116	-	Nil	Nil	Nil	Shahjahanpur Toll Plaza diversion proposal already forwarded to forest department
7	Alwar	46.6	62.1	116	117	-	15 M	15 M	15000	Protected Forestland
8	Alwar	46.6	62.1	117	119	-	15 M	15 M	30000	Protected Forestland
9	Alwar	46.6	62.1	119	121	-	15 M	15 M	30000	Protected Forestland
10	Alwar	46.6	62.1	121	127	-	15 M	15 M	90000	Protected Forestland
11	Alwar	46.6	62.1	127	128	-	15 M	15 M	15000	Protected Forestland
12	Alwar	46.6	62.1	128	129	-	15 M	15 M	15000	Protected Forestland
13	Alwar	46.6	62.1	129	130	-	15 M	15 M	15000	Protected Forestland
14	Alwar	46.6	62.1	130	131.050	-	15 M	15 M	15750	Protected Forestland
15	Alwar	46.6	53.6	131.050	135.570	-	15 M	15 M	67800	Protected Forestland
16	Alwar	46.6	62.1	135.570	136	-	15 M	15 M	6450	Protected Forestland
17	Alwar	46.6	62.1	136	138	-	15 M	15 M	30000	Protected Forestland
18	Alwar	46.6	62.1	138	140	-	15 M	15 M	30000	Protected Forestland
19	Alwar	46.6	62.1	140	141.5	-	15 M	15 M	22500	Protected Forestland
								Total	501000 Sqm	
								Or	50.1 Ha	

Signature valid
Digitally signed by Apoorva Krishna Srivastava
Designation: Deputy Conservator Of Forest
Date: 2024.01.31 [illegible]:32:40 IST
Reason: Approved

FOR NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA

Annexure-3

NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA

DIVERSION PROPOSAL
FOR GURGAON-KOTPUTLI-JAIPUR SIX LANING PROJECT
(FOREST DIVISION ALWAR)
(KM 107.100 TO KM 141.500)

Total RoW	=	**46.6 Meter**
Road Part	=	15.0 Meter
Total width of Forest land	=	**31.6 Meter**
Total Forest Area	=	34.4 x 1000 x 31.6
	=	1087040Sqm.
	=	108.704 Ha.
Already diverted	=	57.104 Ha **(vide letter no. 214 dated 21.06.1996)**
Balance to be diverted	=	108.704 Ha. – 57.104 Ha.
	=	51.600 Ha.
Already proposed for diversion	=	1.5 Ha
Current Proposal	=	**50.100 Ha.** (2009)

Manager (Tech.)
National Highways Authority
of India, JAIPUR

RajKaj Ref
5455342

Signature valid
Digitally signed by Apoorva Krishna Srivastava
Designation : Deputy Conservator Of Forest
Date: 2024.01.31 15:32:40 IST
Reason: Approved